रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2014/माघ 22, 1935
No. 314] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014/MAGHA 22, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

विषय : का.आ. 1199 (अ) दिनांक 10.5.2013 तथा का.आ. 1744 (अ) दिनांक 18.6.2013 द्वारा अधिसूचित निम्न सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र (एल.डी.आर.ए.) में प्लॉट के संबंध में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) प्राप्त करने के लिए प्रभार ।

का.आ. 376(अ).—अधिसूचना संख्या का.आ. 1199 (अ) दिनांक 10.5.2013 के क्रम संख्या–3 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के अनुपालन में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण का.आ. 1199 (अ) दिनांक 10.5.2013 तथा का.आ. 1744 (अ) दिनांक 18.6.2013 द्वारा अधिसूचित एल.डी.आर.ए. प्लॉटों के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रभारों को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

20 एफ.ए.आर. तक कोई प्रभार नहीं होगा । 20 एफ.ए.आर. से अधिक तथा 25 एफ.ए.आर. तक अतिरिक्त निर्माण के लिए 16000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किए जाएंगे । 25 एफ.ए.आर. से अधिक तथा 30 एफ.ए.आर. तक के मामले में 18000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किये जाएंगे ।

उक्त दरों को लागू करते हुए, दिनांक 10.5.2013 को अधिसूचित नीति के संबंध में 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्गमीटर) आकार के एल.डी.आर.ए. में प्लॉटों के लिए देय प्रभारों की निदर्शी दरें निम्नानुसार होंगीः

उपयोग किया गया एफ.ए.आर.	20 से अधिक अतिरिक्त एफ.ए.आर.	वर्ग मीटर में परिवर्तित	वसूल किये जाने वाले प्रभारों की दरें (रु.प्र.व.मी. में)	कुल प्रभार (लाख रुपए में)
20	0	0	शून्य	शून्य
22	2	80	16000	12.80
25	5	200	16000	32.00
27	7	280	18000	50.40
30	10	400	18000	72.00

इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 01(अ) दिनांक 1.1.2014 को रद्द किया जाता है ।

ये प्रभार भारत सरकार द्वारा आगे संशोधन करने तथा अधिसूचना जारी करने तक लागू रहेंगे।

[फा. सं. एफ 6(18)2012/ए.ओ.(पी)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2014

Subject : Charges for availing additional Floor Area Ratio (FAR) in respect of plots in the Low Density Residential Area (LDRA) notified vide S.O. 1199(E) dated 10.05.2013 and S.O. 1744(E), dated 18.6.2013

S.O. 376(E).—In exercise of powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulation in pursuance to the modification notified vide Sl. No. 3 of Notification No. S.O. 1199(E) dated 10.5.2013. Delhi Development hereby notifies the following charges for availing additional FAR in respect of LDRA plots notified vide S.O. 1199 (E) dated 10.5.2013 and S.O. 1744 (E) dated 18.6.2013.

There are no charges up to 20 FAR. The charges for excess construction beyond 20 and up to 25 FAR shall be recovered @ Rs. 16000 per sq m. In the case of FAR beyond 25 and up to 30 the charges shall be recovered @ Rs. 18000 per sq m.

By adopting the aforesaid rates, the following would be the illustrative rates of charges payable for plots in LDRA of 0.4 ha size (4000 sq m) in terms of policy notified on 10.5.2013 as follows:

FAR Utilized	Excess FAR Over 20	Converted into Sq. M.	Rates of charges to be recovered (in Rs./Sq m)	Total Charges in lakhs of Rs.)
20	0	0	Nil	Nil
22	2	80	16000	12.80
25	5	200	16000	32.00
27	7	280	18000	50.40
30	10	400	18000	72.00

This notification is in supersession of the Notification No. S.O. 01(E) dated 1.1.2014.

These charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.

[F. No. F 6(18)2012/AO(P)]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.